

अपने बैंक खाते में धोखाधड़ी से या अनधिकृत तरीके से हुई लेनदेन से क्लीन बोल्ड न हों बैंक को तुरंत सूचित करें



उमेश यादव

भारतीय क्रिकेटर और आरबीआई कर्मचारी

- आप बैंक को सूचित करने में जितना अधिक समय लगाएंगे, आपको उतना ही ज़्यादा नुकसान का जोखिम रहेगा
- यदि धोखाधड़ी से हुई लेनदेन का कारण आपकी लापरवाही है तो बैंक को रिपोर्ट करने तक उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा
- जब आप बैंक को सूचित करें तो बैंक से प्राप्ति-सूचना लेना न भूलें। बैंक को आपकी शिकायत 90 दिनों के अंदर सुलझानी होगी
- धोखाधड़ी से हुई लेनदेन को रिपोर्ट करने के लिए अपने बैंक के संपर्क ब्यौरे हमेशा अपने पास रखें



आरबीआई कहता है!
जानकार बनिए,
सतर्क रहिए!

अधिक जानकारी के लिए, 14440 पर मिस्ड कॉल दें या

www.rbi.org.in/limitedliability पर जाएं

इस विज्ञापन पर फीडबैक देने के लिए, rbikehtahai@rbi.org.in को लिखें



जनहित में जारी

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in